



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 1268/हिन्दुस्तान कार्पोरेशन/2018-18

दिनांक- 10-01-18

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-प्रतापगढ़।

विषय-मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा गाटा सं०-1406, ग्राम-नरई, तहसील-कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-मेमो/जे०ए०/2018 दिनांक 01.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा गाटा सं०-1406, ग्राम-नरई, तहसील-कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए अनापत्ति हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित प्रोजेक्ट मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा गाटा सं०-1406, ग्राम-नरई, तहसील-कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु नियमानुसार (सुरक्षा मानकों की दृष्टि से) सुरक्षित भूमिगत टैंक की स्थापना किए जाने की शर्त के साथ आप द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आख्या अन्य वांछित अनुमतियों को प्रभावित नहीं करेगा। यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के 300 मीटर की परिधि में अन्य कोई पेट्रोल पम्प स्थापित/संचालित नहीं है। पेट्रोल पम्प पर यदि जल्दोतर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर लगाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त हेतु बोर्ड से पृथक रूप से सहमति प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य होगा।

भवदीय,
(यू०एन० उपाध्याय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

अवधेश कुमार पाण्डेय
उपमहाप्रबंधक - रिटेल क्षेत्र
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
कानपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय